



संख्या— 311
25/02/2025

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

पटना-25 फरवरी, 2025 ::- आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 146 (एक सौ छियालीस) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित **सभा कक्ष** में प्रेस को संबोधित करते हुए सबसे पहले बताया कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री के दक्षिण बिहार के जिलों की प्रगति यात्रा संबंधी 243 घोषणाओं के संबंध में कैबिनेट द्वारा 120 (विभाग स्तर पर 123) निर्णय लिए गये हैं, जिनपर कुल 30 हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। कैबिनेट के सभी निर्णयों की जानकारी उन्होंने निम्नवत् दी।

सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत स्टेट डाटा सेंटर 2.0 फेज-II परियोजना हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 1,59,30,00,000.00 (एक अरब उनसठ करोड़ तीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, डिजास्टर रिकवरी (डी०आर०) एण्ड बिजनेस कंटीन्यूटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 90,28,12,000.00 (नब्बे करोड़ अठाईस लाख बारह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग के ही तहत बिहार स्टेट बाईड एरिया नेटवर्क (BSWAN 2.0) के एक वर्ष (दिनांक 01.03.2025 से 28.02.2026 तक) के संचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि ₹82,72,88,000.00 (बयासी करोड़ बहत्तर लाख अठासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत श्री निरज कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, नालन्दा सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना) के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत श्रीमती मंजू कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तरारी, भोजपुर सम्प्रति निलंबित, (निलंबन अवधि का मुख्यालय-जिला प्रोग्राम कार्यालय, भोजपुर) को “सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी” की शास्ति की स्वीकृति दी गई।

समाज कल्याण विभाग के ही तहत बिहार संरक्षण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 पर स्वीकृति दी गई।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन) के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के (लिपिकीय) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधन नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज, जिला-पश्चिम चम्पारण को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के ही तहत मेसर्स शारदा फूड एण्ड लॉजिस्टिक, फतुहा, जिला-पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत 'हर घर नल का जल' निश्चय के तहत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित गैर गुणवत्ता प्रभावित वाले 58003 वार्डों में निर्मित 70157 योजनाओं के संचालन, मरम्मत एवं सम्पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत राज्य योजना मद से विभाग को उपलब्ध कराये जानेवाली राशि 12824.00 लाख (एक सौ अठाईस करोड़ चौबीस लाख) वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय करने की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत इस्माईलपुर-बिन्दटोली तटबंध के स्पर सं०-7 और स्पर सं०-8 के बीच ब्रीच क्लोजर, क्षतिग्रस्त तटबंध का पुनर्स्थापन एवं सुरक्षात्मक कार्य। (एजेण्डा सं०-220/464/2025) (प्राक्कलित राशि रु० 3818.45 लाख) (रु० अड़तीस करोड़ अठारह लाख पैंतालीस हजार मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के ही तहत पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के ग्राम घनसुरपुर से देदौर तक गंगा नदी की पुरानी धार का पुनर्स्थापन एवं सुरक्षात्मक कार्य (प्राक्कलित राशि रु० 3427.80 लाख) (रुपये चौतीस करोड़ सताईस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मधुबन को नगर पंचायत घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के पूर्व से सृजित 1539 रिक्त पदों को प्रत्यार्पित करते हुए एवं कार्यरत कुल 1318 पदों को मरणशील घोषित कर क्रमिक रूप से प्रत्यार्पित करते हुए "बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2021" के अधीन प्रधानाध्यापक के कुल 2857 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पर्यटक सुविधा केन्द्र, कंगनघाट का रख-रखाव एवं संचालन हेतु गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।

निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के लगभग 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग एवं अन्य कार्य के लिए निविदा से चयनित एजेंसी द्वारा आगामी विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए कुल मतदान केन्द्र संख्या 38,948 (50%) पर स्वीकृत दर रु० 7,700/- (मानवबल सहित) पर वेबकास्टिंग किये जाने पर सभी करों सहित रु० 35,66,73,408/- (पैंतीस करोड़ छियासठ लाख तिहत्तर हजार चार सौ आठ रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग के अन्तर्गत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारु करने हेतु आवश्यक उपकरणों/उपस्करणों का क्रय हेतु कुल संशोधित प्राक्कलित राशि ₹5862.37038 लाख (अंठावन करोड़ बासठ लाख सैंतीस हजार अड़तीस रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार नैदानिक स्थापन (पंजीकरण एवं विनियमन), संशोधन नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के ही तहत बिहार आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई। इसी विभाग के तहत बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई, डा० आई० एस० ठाकुर, अधीक्षक (संविदा), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की संविदा अवधि (31.01.2025 तक) को दिनांक-01.02.2025 से दिनांक -31.01.2026 तक विस्तारित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में राज्य के नवादा जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रु० 4,01,68,00,000/- (रुपये चार अरब एक करोड़ अड़सठ लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में राज्य के जहानाबाद जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रु० 4,02,19,00,000/- (रुपये चार अरब दो करोड़ उन्नीस लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में राज्य के कैमूर जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रु० 4,02,14,00,000/- (रुपये चार अरब दो करोड़ चौदह लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में राज्य के बांका जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रु० 4,02,31,00,000/- (रुपये चार अरब दो करोड़ इकतीस लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में राज्य के औरंगाबाद जिलान्तर्गत देव प्रखंड में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रु० 4,00,29,00,000/- (रुपये चार अरब उनतीस लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत "प्रगति यात्रा के क्रम में की गई घोषणा के आलोक में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत गया जिलान्तर्गत अंचल-गया सदर में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate-2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5845.18 लाख (अनठावन करोड़ पैतालीस लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में नवादा जिला अन्तर्गत रजौली अंचल में कुल रकबा-139.48 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि

रु०—31,24,35,200.00 (रुपये इक्कीस करोड़ चौबीस लाख पैंतीस हजार दो सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के ही तहत प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में अरवल जिला अन्तर्गत अरवल अंचल के मौजा—कोरियम में कुल रकबा—61.24 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु० 37,57,88,289.00 (रुपये सैंतीस करोड़ संतावन लाख अठासी हजार दो सौ नवासी) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा “प्रगति यात्रा” के क्रम में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु बाँका जिला के अमरपुर प्रखण्ड में एक नये 2x80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब—स्टेशन का निर्माण तथा 132 के०वी० संबंधित संचरण लाईन के रिकंडक्टिंग एवं निर्माण हेतु 227.93 करोड़ (दो सौ सताईस करोड़ तिरानवे लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 45.58 करोड़ (पैंतालीस करोड़ अंठावन लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 182.35 करोड़ (एक सौ बेरासी करोड़ पैंतीस लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। इसी विभाग के तहत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा “प्रगति यात्रा” के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु रोह (नवादा) में एक नये 2x80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब—स्टेशन, इससे संबंधित 132 के०वी० के संचरण लाईनों एवं नरहट (बी०जी०सी०एल०) जी०आई०एस० ग्रिड सब—स्टेशन में दो जी०आई०एस० लाईन ‘बे’ के निर्माण हेतु कुल 191.26 करोड़ (एक सौ इक्यानवे करोड़ छब्बीस लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 38.25 करोड़ (अड़तीस करोड़ पच्चीस लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 153.01 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ एक लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा “प्रगति यात्रा” के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखंड में एक नये 2x20 एम०वी०ए० क्षमता वाली ग्रिड सब—स्टेशन का निर्माण एवं 132 के०वी० एस०/सी० लखीसराय—हाथीदह संचरण लाईन का बड़हिया में एल०आई०एल० ओ० के निर्माण हेतु 63.40 करोड़ (तिरेसठ करोड़ चालीस लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति दी गई, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा “प्रगति यात्रा” के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु हलसी (लखीसराय) में एक नये 2x80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब—स्टेशन, इससे संबंधित 132 के०वी० के संचरण लाईनों एवं शेखोपुरसराय (बी०जी०सी०एल०) जी०आई०एस० ग्रिड सब—स्टेशन में दो जी०आई०एस० लाईन ‘बे’ के निर्माण हेतु कुल 182.69 करोड़ (एक सौ बेरासी करोड़ उनहत्तर लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात् 36.54 करोड़ (छत्तीस करोड़ चौबन लाख) इक्विटी स्वरूप पूँजीगत निवेश के रूप में एवं शेष 80% अर्थात् 146.15 करोड़ (एक सौ छियालीस करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा “प्रगति यात्रा” के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में “पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना” अंतर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन पटना शहर (पेसू) में विद्युत संरचना के सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु आर०ई०सी० लि० द्वारा अनुमोदित 296.93 करोड़ (दो सौ छियानवे करोड़ तिरानवे लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60% अर्थात् 178.16 करोड़ (एक सौ अठहत्तर करोड़ सोलह लाख) रुपये केन्द्र सरकार से अनुदान

स्वरूप एवं शेष राशि 118.77 करोड़ (एक सौ अठारह करोड़ सतहत्तर लाख) रुपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

खेल विभाग के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की प्रगति यात्रा के क्रम में की गयी घोषणा के आलोक में अरवल जिलान्तर्गत मुन्द्रिका सिंह कॉलेज के पास मिर्जापुर, किंजेर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु कुल ₹3919.70 लाख (उनचासी करोड़ उनीस लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसी विभाग के तहत प्रगति यात्रा के क्रम में की गयी घोषणा के आलोक में बक्सर जिला के आई०टी०आई० मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु कुल ₹4338.14 लाख (तैंतालीस करोड़ अड़तीस लाख चौदह हजार रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के आलोक में जमुई जिला के सोनपे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु कुल ₹3259.92 लाख (बत्तीस करोड़ उनसठ लाख बानबे हजार रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के आलोक में कैमूर जिला के भगवानपुर प्रखण्ड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु कुल ₹3711.15 लाख (सैंतीस करोड़ ग्यारह लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत प्रगति यात्रा से संबंधित "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन रोहतास (सासाराम) जिला के कार्य प्रमंडल-सासाराम-1 अंतर्गत करहगर प्रखण्ड के पथ "टी०2-करहगर बरहारी रोड से धरमपुरा रोड", लम्बाई-19.650 कि०मी० पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 41.32640 करोड़ रुपये (एकतालीस करोड़ बत्तीस लाख चौसठ हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई। इसी विभाग के तहत प्रगति यात्रा से संबंधित "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन रोहतास (सासाराम) जिला के कार्य प्रमंडल-सासाराम-1 अंतर्गत करहगर प्रखण्ड के पथ "टी०6-बरवाँ से जहानाबाद रोड", लम्बाई-27.00 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 56.49951 करोड़ रुपये (छप्पन करोड़ उनचास लाख पंचानवे हजार एक सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक-16.02.2025 को प्रगति यात्रा के क्रम में भोजपुर जिला अन्तर्गत सन्देश से अखगाँव होते हुए कोईलवर तक नहर से बांध पर पथ के क्रियान्वयन की घोषणा की गयी है। पथ की कुल लम्बाई-18.370 कि०मी० के निर्माण तथा 05 वर्ष की अनुरक्षण अवधि की कुल राशि रु० 3713.427 लाख रुपये (सैंतीस करोड़ तेरह लाख बयालीस हजार सात सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत प्रगति यात्रा से संबंधित बाढ़ अवधि में गंगा नदी के अधिशेष जल को बंदुआ तथा खड़गपुर जलाशय में अंतरण कार्य, प्राक्कलित राशि 1866.11 करोड़ रुपये (एक हजार आठ सौ छियासठ करोड़ ग्यारह लाख रुपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। इसी विभाग के तहत प्रगति यात्रा से संबंधित सिंचाई प्रमंडल, तारापुर अंतर्गत बंदुआ जलाशय के बायां मुख्य नहर के खैराती खां वितरणी के अधीन चौरा उपवितरणी, कमरगावां डांड, फूसना डांड एवं गाजीपुर डांड का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, प्राक्कलित राशि 4227.83 लाख रुपये (बयालीस करोड़ सताईस लाख तेरासी हजार रुपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में

बांका जिलांतर्गत कतरिया नदी पर वीयर एवं राजडांड पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि 3519.04501 लाख रुपये (पैंतीस करोड़ उन्नीस लाख चार हजार पाँच सौ एक रुपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में औरंगाबाद जिलान्तर्गत “सोन नदी से उद्वह सिंचाई के माध्यम से विशुनपुर उपवितरणी के शेष कमाण्ड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य, प्राक्कलित राशि 13154.00 लाख रुपये (एक सौ ईक्तीस करोड़ चौवन लाख रुपये)” की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में औरंगाबाद जिलान्तर्गत “नगर परिषद् औरंगाबाद के अंतर्गत अदरी नदी का सौन्दर्यीकरण एवं नदी तट विकास कार्य, प्राक्कलित राशि 7477.88878 लाख रुपये (चौहत्तर करोड़ सत्तहत्तर लाख अठासी हजार आठ सौ अठहत्तर रुपये)” की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में गया जिलान्तर्गत ईमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत में मोरहर नदी पर कोठी वीयर के निर्माण एवं इससे निःसृत पर्ईन के पुनर्स्थापन कार्य, प्राक्कलित राशि ₹88.1249 करोड़ (अष्टासी करोड़ बारह लाख उनचास हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में सिंचाई प्रमण्डल, शेखपुरा अन्तर्गत सकरी सिंचाई योजना के वाजिदपुर से निःसृत मिरजैन नहर प्रणाली (0.00 कि०मी० से 28.20 कि०मी०), बरगैन वितरणी (0.00 कि०मी० से 11.50 कि०मी०) एवं मिरजैन वितरणी के 10.00 कि०मी० से निःसृत तेउसाईन ब्रांच कैनाल (0.00 कि०मी० से 8.00 कि०मी०) एवं बरगैन वितरणी के 6.50 कि०मी० से निःसृत ओनामा वितरणी (0.00 कि०मी० से 12.00 कि०मी०) तक का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, प्राक्कलित राशि ₹195.07 करोड़ (एक सौ पंचानवे करोड़ सात लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में गया जिलान्तर्गत बतसपुर वीयर योजना अंतर्गत मोराटाल मुख्य पर्ईन का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण तथा पुनर्स्थापन कार्य, प्राक्कलित राशि ₹77.5967 करोड़ (सत्तहत्तर करोड़ उन्सठ लाख सड़सठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में “बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 51.72 के बीच तटबंध के सुदृढीकरण एवं कालीकरण तथा सुरक्षात्मक कार्य” (प्राक्कलित राशि—18126.863 लाख रुपये) (रुपये एक सौ इक्तीस करोड़ छब्बीस लाख छियासी हजार तीन सौ रुपये मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में नालंदा जिलांतर्गत सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ के अधीन पंचाने सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य का विस्तृत योजना प्रतिवेदन, प्राक्कलित राशि ₹5000.00 लाख (पचास करोड़ रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में बक्सर जिलान्तर्गत “उद्वह सिंचाई योजना सहित मलई बराज योजना का निर्माण कार्य, द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 20495.64 लाख रुपये (दो सौ चार करोड़ पंचानवे लाख चौसठ हजार रुपये) मात्र” की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत “सोन—कोहिरा लिंक सिंचाई योजना, प्राक्कलित राशि 15454.28 लाख रुपये (एक सौ चौवन करोड़ चौवन लाख अठाईस हजार रुपये) मात्र” की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में “नालंदा जिला के बिहारशरीफ प्रखंड अंतर्गत कोसुक से सिपाह पुल तक पंचाने नदी में पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं रीवर फ्रंट विकास कार्य” (प्राक्कलित राशि—4248.59 लाख रुपये) (बयालीस करोड़ अड़तालीस लाख उनसठ हजार रुपये मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में “भोजपुर जिलान्तर्गत चंदवा से बगवतपुर तक 6.50 कि०मी० की लंबाई में गांगी नदी के दायें बाँध (आरा शहर सुरक्षा बाँध) पर सुदृढीकरण एवं पक्कीकरण कार्य तथा बगवतपुर से धरहरा तक 1.00 कि०मी० की लंबाई में आरा मुख्य नहर के बायें बाँध पर पक्कीकरण कार्य” (प्राक्कलित राशि—3130.865 लाख रुपये) (इक्तीस करोड़ तीस लाख छियासी हजार पाँच सौ रुपये मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत

“जमानियाँ से ककरैत गंगाजल उद्वह सिंचाई योजना, प्राक्कलित राशि 52844.37 लाख रुपये (पाँच सौ अठाईस करोड़ चौवालीस लाख सैंतीस हजार रुपये) मात्र” की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में जमुई जिलांतर्गत बरनार जलाशय योजना का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि 2579.3785 करोड़ रुपये (दो हजार पाँच सौ उनासी करोड़ सैंतीस लाख पचासी हजार रुपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आनन्दपुरी नाला (बाबा चौक—अटल पथ—ए०एन० कॉलेज इंदिरा सिन्हा पथ—राजापुर पुल) योजना हेतु कुल राशि ₹9127.00 लाख (एकानबे करोड़ सताईस लाख रु०) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई। इसी विभाग के तहत माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुर्जी नाला का निर्माण (राजीव नगर डी०पी०एस० से शकुंतला मार्केट होते हुए अटल पथ कुर्जी तक) योजना हेतु कुल राशि ₹18099.00 लाख (एक सौ अस्सी करोड़ निन्यानवे लाख रु०) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई, माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित नगर निगम, सहरसा क्षेत्र से जल निकासी के लिए सहरसा स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज योजना कुल ₹13790.39261 लाख (एक सौ सैंतीस करोड़ नब्बे लाख उनचालीस हजार दो सौ एकसठ रु०) मात्र की स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई, माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित नगर परिषद, नवादा क्षेत्रान्तर्गत 44 वार्डों के बड़े हुये क्षेत्र एवं नये आवासित घरों के लिये जलापूर्ति हेतु कुल ₹20061.22161 लाख (दो सौ करोड़ एकसठ लाख बाईस हजार एक सौ एकसठ रु०) मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई, माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित नगर परिषद, बाढ़ क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी के किनारे उमानाथ घाट के विकास कार्य हेतु कुल राशि ₹5385.05000 लाख (तिरपन करोड़ पचासी लाख पाँच हजार रु०) मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई, औरंगाबाद जिलान्तर्गत जम्होर को नगर पंचायत घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत प्रगति यात्रा के क्रम में गया वन प्रमंडल, गया के तहत बराबर पहाड़ में पारिस्थितिकी पर्यटन (ईको टूरिज्म) और पर्यटन सुविधाओं के विकास कार्य हेतु इको-पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत कुल ₹4998.34 लाख (उन्चास करोड़ अठानवे लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत प्रगति यात्रा के क्रम में की गयी घोषणा के आलोक में नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर स्थित ब्रह्मकुण्ड का समग्र विकास हेतु प्राक्कलित राशि 49,87,00,000 /— (उनचास करोड़ सतासी लाख) रुपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसी विभाग के तहत प्रगति यात्रा के क्रम में की गयी घोषणा के आलोक में पटना जिलान्तर्गत पटना साहिब में तख्त श्री हरिमंदिर जी, कंगन घाट में मल्टी-लेवल पार्किंग के विकास हेतु प्राक्कलित राशि 99,26,56,000 /— (निन्यानवे करोड़ छब्बीस लाख छप्पन हजार) रुपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के क्रम में की गयी घोषणा के आलोक में पटना जिलान्तर्गत गाँधी मैदान के नजदीक पटना हाट के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 48,96,52,000 /— (अड़तालिस करोड़ छियानवे लाख बावन हजार) रुपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में शेखपुरा

जिलान्तर्गत मटोखर दह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु प्राक्कलित राशि 49,97,20,000/- (उनचास करोड़ सत्तानवे लाख बीस हजार) रुपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत प्रगति यात्रा के आलोक में गया जिला के इमामगंज प्रखंड में राज्य योजना अंतर्गत रुपये 4587.68 लाख (पैंतालीस करोड़ सत्तासी लाख अड़सठ हजार) लागत राशि की "लावाबार वीयर आहर-पईन योजना का निर्माण कार्य" की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत प्रगति यात्रा में की गई घोषणा से संबंधित कैमूर जिलान्तर्गत भू-जल की अनुपलब्धता से प्रभावित अधौरा प्रखंड अंतर्गत 6 पंचायतों के 35 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढीकरण हेतु सोन नदी के सतही जल के उपयोग से 3.34 MLD एवं दुर्गावती नदी के सतही जल के उपयोग से 2.22 MLD क्षमता के बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पांच वर्षों तक रख-रखाव एवं परिचालन हेतु योजना पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में मुंगेर जिलान्तर्गत अंचल-संग्रामपुर के मौजा-ददरी, थाना सं०-307, खाता सं०-384, खेसरा सं०-223 गैरमजरूआ खास किस्म-परती कदीम रकबा-20 एकड़ एवं मौजा-पतघाघर, थाना सं०-308, खाता सं०-90, खेसरा सं०-20 गैरमजरूआ खास किस्म-टीला रकबा-30 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा-50 एकड़ भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) में औद्योगिक पार्क/औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। इसी विभाग के तहत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में बाँका जिलान्तर्गत अंचल-कटोरिया के मौजा-करझौंसा, थाना सं०-201/02, खाता सं०-17 के विभिन्न खेसरा में 124.40 एकड़ एवं मौजा-सिरमोहडार, थाना सं०-201/03, खाता सं०-13 के विभिन्न खेसरा में 75.60 एकड़ सहित कुल प्रस्तावित रकबा-200.00 एकड़ परती कदीम गैरमजरूआ मालिक भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत 64 योजनाओं पर निर्णय लिए गये जो इस प्रकार हैं:-

प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल मुंगेर अंतर्गत वासुदेवपुर चौराहा से आई०टी०सी० पार्क, चण्डीका स्थान, नयागांव पथ एवं किला क्षेत्र पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 4880.27 लाख (अड़तालीस करोड़ अस्सी लाख सत्ताईस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में मुंगेर जिलांतर्गत बिहार योग विद्यालय से एन०एच०-333बी० तक रिंग रोड एवं पहुँच पथ हेतु 12198.00 लाख (एक सौ इक्कीस करोड़ नठानबे लाख) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में सुल्तानगंज-तारापुर- संग्रामपुर-बेलहर - कटोरिया-चांदन-दर्दमारा (बिहार बॉर्डर) पथ (एस०एच०-22) का पथांश कि०मी० 0.00 से 40.00 तक (पार्ट-1) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 53453.59 लाख (पाँच सौ चौतीस करोड़ तिरपन लाख उनसठ हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल शेखपुरा अंतर्गत नेमदारगंज -रमजानपुर-कोनांद मोड़ पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 10.50 तक का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 4396.86 लाख (तैंतालीस करोड़ छियानबे लाख छियासी हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल शेखपुरा अंतर्गत तोथिया पहाड़ से कुशुम्भा भाया मटोखर दह के कि०मी०

0.00 से 7.350 तक नवीन बाईपास पथ का निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 4210.33 लाख (बेयालीस करोड़ दस लाख तैंतीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के तहत पथ प्रमंडल भागलपुर एवं बांका अंतर्गत भागलपुर-अमरपुर-बांका (एस०एच०-25) पथ के पेम्ड सोल्डर सहित 2-लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु (कि०मी० 0.00 से 44.300) कुल 23933.00 लाख (दो सौ उनचालीस करोड़ तैंतीस लाख) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, बांका अन्तर्गत सुल्तानगंज-तारापुर -संग्रामपुर- बेलहर- कटोरिया- चांदन - दर्दमारा (बिहार बॉर्डर) पथ (एस०एच०-22) (पार्ट-2) के कि०मी० 40.00 से 98.865 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 38587.31 लाख (तीन सौ पचासी करोड़ सत्तासी लाख इकतीस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बिहारशरीफ अंतर्गत अस्थावां-सकसोहरा पथ के चैनेज कि०मी० 0.00 (बेनार मोड़) से चैनेज कि०मी० 18.450 (सकसोहरा) तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 9671.47 लाख (छियानबे करोड़ इकहत्तर लाख सैंतालीस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल मुंगेर अंतर्गत तारापुर बाईपास पथ, वंशीपुर (एस०एच०-22 के 18वें कि०मी०) से बिहमा (एस०एच०-22 के 22वें कि०मी०) तक भाया धोबई, गोगाचक, तेलडीहा मंदिर, मोहनगंज, (कुल लंबाई 7.00 कि०मी०) कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 4793.61 लाख (सैंतालीस करोड़ तिरानबे लाख इकसठ हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पटना जिलान्तर्गत गायघाट-कंगनघाट -दीदारगंज (भद्रघाट से दीदारगंज) तक (कुल लंबाई 7.80 कि०मी०) पथ के 4-लेन चौड़ीकरण/निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 15840.37 लाख (एक सौ अनठावन करोड़ चालीस लाख सैंतीस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल शेरघाटी अंतर्गत गया-परैया-गुरारू-कोईलवा मोड़ पथ के कि०मी० 0.00 से 27.438 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (इन्टरमिडिएट लेन से 2-लेन, पेम्ड सोल्डर के साथ) कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 10472.13 लाख (एक सौ चार करोड़ बहत्तर लाख तेरह हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल दरभंगा अन्तर्गत एम्स दरभंगा तक 4-लेन पहुँच पथ (लंबाई-01 कि०मी०) के निर्माण कार्य सहित शोभन-एकमी घाट पथ (कुल लंबाई-10 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹33811.90 लाख (तीन सौ अड़तीस करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में शाहाबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत जीरो माईल से पातर (एन०एच०-119ए का लेफ्ट आउट भाग) पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 3389.615 लाख (तैंतिस करोड़ नवासी लाख इकसठ हजार पाँच सौ) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में नवादा जिलान्तर्गत सकरी नदी पर गोविन्दपुर-रोह रोड के गोविन्दपुर ब्लॉक के पास कुल 300मी० पहुँच पथ सहित 20 x 27.80 मी० आकार का उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण हेतु 5482.87 लाख (चौवन करोड़ बेरासी लाख सत्तासी हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल डेहरी-ऑन-सोन अंतर्गत अकबरपुर-अधौरा वन पथ में अवस्थित रेहल से रोहतासगढ़ जिला होते हुए चौरासन मंदिर तक पथ (कुल लंबाई 15.50 कि०मी०) का निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 6689.36 लाख (छियासठ करोड़ नवासी लाख छत्तीस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पटना पश्चिम पथ प्रमंडल पटना अंतर्गत खगौल-नेहरू पथ का अशोक राजपथ-रूपसपुर नहर पथ तक, 4-लेन (पथ की कुल लंबाई 6.90 कि०मी०) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 7148.01 लाख (इकहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख एक हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बक्सर अंतर्गत बक्सर

गोलंबर से ज्योति चौक भाया बस स्टैंड पथ के चौड़ीकरण (4-लेन) एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 4152.985 लाख (इकतालीस करोड़ बावन लाख अनठानबे हजार पाँच सौ) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बक्सर अंतर्गत 2-लेन धनसोई बाईपास पथ (कि०मी० 0.00 से 4.50) के निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 9824.90 लाख (अनठानबे करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित पटनासिटी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत सोहगी मोड़ (SH-01) से कंडाप (पुनपुन सुरक्षा बाँध) भाया रामपुर बहुरा एवं लिंक पथ बहुरा मोड़ से चिपुरा मोड़ तक कुल 9.90 कि०मी० पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4148.42 लाख (एकतालीस करोड़ अड़तालीस लाख बियालीस हजार) रुपये के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ एवं तुंगी हॉल्ट रेलवे स्टेशनों के बीच बिहारशरीफ-अस्थावाँ पथ में खन्दक पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-34 A/T (रेलवे कि०मी०-29/28 -29/30) के बदले सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) का निर्माण हेतु कुल ₹7314.16 लाख (रुपये तिहत्तर करोड़ चौदह लाख सोलह हजार मात्र) भू-अर्जन सहित अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, औरंगाबाद अंतर्गत देव अम्बा रिंग रोड के चैनेज कि०मी० 0.00 से कि०मी० 8.60 तक पेम्ड सोल्डर सहित 2 लेन (एन०एच०-30 का लेफ्ट आउट भाग) पथ निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 14223.42 लाख (एक सौ बेयालीस करोड़ तेईस लाख बयालीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल डेहरी-ऑन-सोन अंतर्गत आयरकोटा-अकोढ़ीगोला-अमरातलाब पथ (चैनेज-0.00 से 10.00) (पार्ट-ए०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 4874.59 लाख (अड़तालीस करोड़ चौहत्तर लाख उनसठ हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, औरंगाबाद अंतर्गत 2-लेन रफीगंज बाजार बाईपास पथ (कुल लंबाई 8.000 कि०मी०) के निर्माण कार्य हेतु 7119.68 लाख (एकहत्तर करोड़ उन्नीस लाख अड़सठ हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में शाहाबाद पथ प्रमंडल आरा अंतर्गत बमपाली से गिरजामोड़ तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं गिरजामोड़ से पकड़ी चौक तक पेम्ड सोल्डर सहित 2 लेन चौड़ीकरण तथा चंदवा मोड़ से पश्चिमी आर०ओ०बी० तक लिंक रोड निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 5394.80 लाख (तिरपन करोड़ चौरानबे लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित नवादा जिलान्तर्गत सादिपुर हॉल्ट पर सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०), सहित नवादा बायपास (राष्ट्रीय उच्च पथ-31 के चैनेज 97 कि०मी० से हिसुआ-नवादा-जमुई पथ (राज्य उच्च पथ संख्या-08) पर अवस्थित कादिरगंज (सकरी नदी पुल के पहुँच पथ तक) का निर्माण हेतु कुल ₹18162.21 लाख (रुपये एक सौ इक्कासी करोड़ बासठ लाख इक्कीस हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल कोचस अंतर्गत आयरकोट- अमरातलाब 2-लेन पेम्ड शोल्डर पथ (चैनेज-10.00 से 17.500 कि०मी०) (पार्ट-बी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 3633.65 लाख (छत्तीस करोड़ तैंतीस लाख पैसठ हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा अन्तर्गत अरण्य देवी मंदिर से आरा-बक्सर 4-लेन (एन०एच०-922) भाया आरा सिन्हा एवं आरा-बरहारा (कुल लंबाई-4.8 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु कुल राशि 3719.97 लाख (सैंतीस करोड़ उन्नीस लाख संतानवें हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल शेरघाटी अन्तर्गत इमामगंज से पकरी भाया कोठी-सलैया पथ के कि०मी० 0.00 से 24.50 (कुल लंबाई-24.50 कि०मी०) में एक-लेन से दो-लेन का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 11974.56 लाख (एक सौ उन्नीस करोड़ चौहत्तर लाख छप्पन हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में शाहाबाद पथ

प्रमंडल आरा अंतर्गत आरा (एन०एच०-30) से छपरा (एन०एच०-19) भाया बबुरा पथ के कि०मी० 0.00 से 20.40 कि०मी० तक पथ को 4-लेन से 6-लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 10516.13 लाख (एक सौ पाँच करोड़ सोलह लाख तेरह हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पटना सिटी पथ प्रमंडल, गुलजारबाग अंतर्गत पटना-गया (एस०एच०-01) सम्पतचक बाजार से परसा बाजार (एन०एच०-83) भाया चिपुरा, बदलाचक (कुल लंबाई-6.80 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 33024.90 लाख (तीन सौ तीस करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार) रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के क्रम में गाय घाट में जे०पी० गंगा पथ से सटे नदी की ओर डाउन रैम्प के निर्माण हेतु रुपये 6195.10 लाख (रुपये एकसठ करोड़ पंचानबे लाख दस हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत लेफ्ट आउट पोरशन एन०एच०-30 के बिहटा चौक से दानापुर (कुल लंबाई- 22.740 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 18248.49 लाख (एक सौ बेरासी करोड़ अड़तालीस लाख उनचास हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल सं०-1 औरंगाबाद अंतर्गत देव सूर्य कुंड (एस०एच०-101) से देव बाईपास (प्रगति पथ) (4-लेन) पथ निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 5938.95 लाख (उनसठ करोड़ अड़तीस लाख पनचानबे हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल बिहारशरीफ अंतर्गत एन०एच०-82 के लेफ्ट आउट पथ के एतवारी बाजार (एन०एच०-82) से अपरौरा मोड़ (एन०एच०-82 न्यू बाईपास) भाया कलेक्ट्रीयट ऑफिस नालंदा, नईसराय एवं खंडक मोड़ पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 3035.36 लाख (तीस करोड़ पैंतीस लाख छत्तीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल सं०-1, गया अंतर्गत बेला-पनारी रोड से अग्नि, रैली, शिवरामपुर से धनावा होते हुए शाकिर बिगहा तक (ग्राम शिवरामपुर के लिंक पथ सहित) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 3982.82 लाख (उनचालीस करोड़ बेरासी लाख बेरासी हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल कोचस अंतर्गत कुदरा-चेनारी -मल्हीपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 22.50 तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 14700.51 लाख (एक सौ सैंतालीस करोड़ इक्यावन हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत बड़ी मस्जिद से सेन्ट्रल जेल तक के पथ के चौड़ीकरण हेतु कुल 3680.36 लाख (छत्तीस करोड़ अस्सी लाख छत्तीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत एम्स गोलम्बर-जानीपुर-पैनापुर-नेवा (बिहटा-सरमेरा-पटना रिंग रोड जंक्शन) पथ (कुल लंबाई-10.5 कि०मी०) का 2-लेन हेतु चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 13850.13 लाख (एक सौ अड़तीस करोड़ पचास लाख तेरह हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, बक्सर अंतर्गत भोजपुर-सिमरी पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 9.30 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 5197.50 लाख (इक्यावन करोड़ सनतानबे लाख पचास हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर-गौराडीह मार्ग पर भागलपुर-बौंसी रेलवे लाईन, पुल संख्या-02 (आर०यू०बी०) पर पहुँच पथ सहित सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) का निर्माण हेतु कुल ₹12585.86 लाख (रुपये एक सौ पच्चीस करोड़ पचासी लाख छियासी हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित नालंदा जिलान्तर्गत पचासा-नकटपुरा पथ (बिहारशरीफ बाईपास पथ) एवं बिहारशरीफ-रहुई पथ में अवस्थित LC No.-30C/E (सोहसराय हॉल्ट) के स्थान पर सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०)-सह-पहुँच पथ के निर्माण

कार्य हेतु कुल राशि ₹21264.52 लाख (रुपये दो सौ बारह करोड़ चौंसठ लाख बावन हजार) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल सं०-01, औरंगाबाद अंतर्गत गया-औरंगाबाद भाया परैया, गुरारू, रफीगंज (पार्ट-B) के कि.मी. 27.80 से कि.मी. 64.170 तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु कुल राशि ₹13774.27 लाख (एक सौ सैतीस करोड़ चौहत्तर लाख सताइस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में गया नगर क्षेत्र अंतर्गत घुघड़ीटांड में पलाईओवर का निर्माण हेतु कुल राशि ₹14121.00 लाख (रुपये एक सौ एकतालिस करोड़ एककीस लाख मात्र) रुपये मात्र की अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में बक्सर जिलाधीन एन.एच.-84 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला (एन.एच.-19) को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्मित जनेश्वर मिश्रा पुल (बयासी पुल) के पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 38676.95 लाख (तीन सौ छियासी करोड़ छिहत्तर लाख पंचान्चे हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक कुल 35.65 कि०मी० लंबाई में जे०पी० गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण हेतु कुल 649578.72 लाख (रुपये छः हजार चार सौ पंचानवें करोड़ अठहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ अंतर्गत बिहार-बख्तियारपुर पथ के कारगील चौक से पचासा मोड़ तक कुल लंबाई 8.00 कि.मी. में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 4214.89 लाख (बयालीस करोड़ चौदह लाख नवासी हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, हिलसा अंतर्गत एन. एच.-82 के कि.मी. 77 (हसनपुर ग्राम से राजगीर अंतराष्ट्रीय खेल अकादमी मोड़) भाया राजगीर बाईपास पथ के 2-लेन से 4-लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹13914.70 लाख (एक सौ उनतालिस करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पटना शहर अंतर्गत पटेल गोलम्बर से ईको पार्क के पश्चिमी छोर तक तथा ईको पार्क के पूर्वी छोर से अटल पथ तक सरपेंटाईन नाले पर भूमिगत नाला के साथ 4-लेन सड़क निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 19680.00 लाख (एक सौ छियानबे करोड़ अस्सी लाख) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पटना सिटी पथ प्रमंडल, पटना अंतर्गत बख्तियारपुर- बाढ़-मोकामा (एन. एच.-31 के लेफ्ट आउट पोर्शन) कि.मी. 0.00 से 44.60 तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 24988.10 लाख (दो सौ उन्चास करोड़ अट्ठासी लाख दस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में गया नगर क्षेत्र अंतर्गत मुफस्सिल मोड़ पर पलाई ओवर परियोजना के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 34922.00 लाख (तीन सौ उन्चास करोड़ बाईस लाख) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन अंतर्गत अकोढ़ीगोला बाईपास पथ (कुल लंबाई 6.50 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु ₹8877.59 लाख (अठासी करोड़ सतहत्तर लाख उनसठ हजार) रू० मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, शेखपुरा अंतर्गत सरमेरा से लखीसराय जिला के सीमा पर स्थित पचना (भदौस) ग्रीनफिल्ड बाईपास पथ (कुल लंबाई-21.5 कि०मी०) निर्माण कार्य हेतु 48183.585 लाख (चार सौ एकासी करोड़ तेरासी लाख अंठावन हजार पांच सौ) रू० मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा बाईपास (पूर्वी) दो अदद आर०ओ०बी० सहित कुल 7.0718 कि०मी० पथ के निर्माण हेतु ₹27637.00 लाख (रुपये दो सौ छिहत्तर करोड़ सैतीस लाख मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में राज्य उच्च पथ सं० 106 (पुराना राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-30) दीदारगंज-फतुहा- बख्तियारपुर-करजान पथ का 4-लेन (कुल लंबाई 41.270 कि.मी.) के चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 106553.20 लाख (एक हजार पैंसठ करोड़ तीरपन लाख बीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी

गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, कोचस अंतर्गत कोचस में आरा-मोहनिया पथ पर बाईपास पथ (कुल लंबाई 12.25 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु राशि ₹5409.41 लाख (चौवन करोड़ नौ लाख इकतालिस हजार) रू० मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में मंदिरी नाला पर निर्माणाधीन 4-लेन सड़क को जे.पी.गंगा पथ से जोड़ने हेतु निर्माण कार्य के निमित्त ₹5228.40 लाख (बावन करोड़ अठाईस लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पटना जिलाधीन नौबतपुर-मसौढ़ी पथ के 17वें कि.मी. में नौबतपुर लख में पलाई ओभर निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 7306.00 लाख (तिहत्तर करोड़ छः लाख) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर गया जिलान्तर्गत गया-मानपुर रेलखंड (रेलवे कि०मी० 468/16-18) पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-71A (बागेश्वरी गुमटी) के बदले सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) का निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹5117.47051 लाख (रुपये इक्यावन करोड़ सत्रह लाख सैंतालीस हजार इक्यावन मात्र) सहित कुल ₹9016.60 लाख (रुपये नब्बे करोड़ सोलह लाख साठ हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा अंतर्गत जीरो माईल से आशनी पलाई ओभर (एन०एच०-30 का लेफ्ट आउट भाग) पथ के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 9400.38 लाख (चौरानबे करोड़ अड़तीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन अंतर्गत डेहरी-तेतराढ़-राजपुर पथ (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 20.40) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 9211.79 लाख (बानबे करोड़ ग्यारह लाख उनासी हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पटना सिटी पथ प्रमंडल अंतर्गत बी०एन०एम० कॉलेज घाट बड़हिया (जिला-लखीसराय) से प्रारंभ होकर महारानी स्थान, पंचमहला, डुमरा, नौरंगा होते हुए मराची (जिला-पटना) तक पथ कुल लंबाई 10 कि०मी० का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 11621.72 लाख (एक सौ सोलह करोड़ इक्कीस लाख बहत्तर हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पटना पश्चिम पथ प्रमंडल अन्तर्गत रुपसपुर नहर से सगुना मोड़ तक नेहरू पथ (कुल लंबाई-2.7 कि०मी०) के दोनों तरफ भूमिगत नाला के साथ पथ का निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹31851.28 लाख (तीन सौ अठारह करोड़ एकावन लाख अठाईस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में दीघा-एम्स-पाटली पथ को दानापुर तरफ नेहरू पथ संपर्कता करने का निर्माण कार्य हेतु कुल प्राक्कलित राशि 14386.00 लाख (एक सौ तैंतालिस करोड़ छियासी लाख) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, प्रगति यात्रा के आलोक में पटना शहर अंतर्गत गंगा नदी के किनारे दीघा से गांधी मैदान के बीच जे०पी० गंगा पथ के दोनों तरफ, लगभग 7 कि०मी० की लम्बाई में 'जे०पी०गंगा पथ समग्र उद्यान' परियोजना (फ़ेज-1) के निर्माण हेतु राशि ₹38740.00 लाख (रुपेय तीन सौ सत्तासी करोड़ चालीस लाख) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में अरवल जिलान्तर्गत अंचल-अरवल के मौजा-सोनवर्षा, थाना सं-05 एवं मौजा-कोरियम, थाना सं-01 के विभिन्न खाता एवं खेसरा में रकबा क्रमशः 46.99 एकड़ एवं 18.96 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा-65.95 एकड़ गैरमजरूआ आम एवं गैरमजरूआ मालिक किस्म-परती कदीम भूमि (विवरणी-परिशिष्ट-I संलग्न) औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में नवादा जिलान्तर्गत अंचल-रजौली के मौजा-भड़रा, थाना सं-124 के खाता सं-75 एवं 76 के विभिन्न खेसराओं का कुल रकबा क्रमशः 71.67 एकड़ अनावाद बिहार सरकार एवं 9.68 एकड़

अनावाद सर्वसाधारण कुल प्रस्तावित रकबा—81.35 एकड़ भूमि (विवरणी—परिशिष्ट—I संलग्न) औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई तथा इसी विभाग के तहत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में रोहतास जिलान्तर्गत अंचल—डिहरी के मौजा—भलुआड़ी, थाना सं०—180, खाता सं०—444, मौजा—भडकुडिया, थाना सं०—167, खाता सं०—150/165, मौजा—दुर्गापुर, थाना सं०—169, खाता सं०—153 एवं मौजा—भटौली, थाना सं०—170, खाता सं०—117 के विभिन्न खेसराओं में कुल प्रस्तावित रकबा—60'.05 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट—I) अनावाद बिहार सरकार की भूमि औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत पालीगंज अनुमण्डल (पटना) में स्थायी रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने एवं उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक—एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के ही तहत 45वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, मुख्यालय वीरपुर द्वारा नया केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 05 एकड़ भूमि 99 वर्षों की लीज पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरण करने हेतु देय मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की कुल राशि 33,00,000 (तैतीस लाख) रूपया तथा केन्द्रीय विद्यालय, ए०एफ०एस०, पूर्णियाँ के भवन निर्माण हेतु 12.91 एकड़ भूमि 99 वर्षों की लीज पर केन्द्रीय विद्यालय के संगठन के पक्ष में हस्तान्तरण करने हेतु देय मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की कुल राशि 44,88,160 (चौवालीस लाख अठासी हजार एक सौ साठ) रूपया छूट प्रदान करने संबंधी अधिसूचना प्रारूप निर्गत करने की स्वीकृति तथा भविष्य में नये केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव शिक्षा विभाग की सहमति एवं समाहर्ता की अनुशंसा के साथ प्राप्त होने पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क में शत—प्रतिशत छूट की सहमति विभाग (मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग) द्वारा प्रदान करने एवं उस पर पुनः अलग से मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, संबंधी अनुमति दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के अन्तर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली—2016 के अधीन सहायक उर्दू अनुवादक (वेतन स्तर—5) के बिहार राज्य के सभी थानों में सुजित कुल—1064 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए उसके स्थान पर पूर्व में स्वीकृत पद के अतिरिक्त सभी समाहरणालय (जिला उर्दू भाषा कोषांग) के लिए 38 पद, सभी अनुमंडल कार्यालय के लिए 101 पद, सभी प्रखंड कार्यालयों के लिए 534 पद तथा अंचल कार्यालय के लिए 391 पद अर्थात् सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 1064 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन सुपौल, पश्चिमी चम्पारण, कटिहार एवं पूर्णिया जिला अंतर्गत 33 गाँवों (7117 घरों) को ऑन ग्रिड विद्युतीकरण हेतु कुल राशि 130.42 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ बयालीस लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 61.40 करोड़ (एकसठ करोड़ चालीस लाख) रुपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात् 36.84 करोड़ (छत्तीस करोड़ चौरासी लाख) रुपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 93.58 करोड़ (तिरानवे करोड़ अठावन लाख) रुपये राज्य सरकार द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्री मनोज रमण (आई०डी० संख्या-3284), मुख्य अभियन्ता (कार्यकारी प्रभार), समग्र योजना, अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना-सह-अभियन्ता प्रमुख (अतिरिक्त उच्चतर प्रभार), बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना को उनकी दिनांक- 28.02.2025 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के क्रम में आगामी 01 (एक) वर्ष अथवा नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए विभागन्तर्गत संविदा के आधार पर मुख्यस अभियन्ता (असै०) के मू धारित पद के अनुरूप निर्धारित मानदेय पर नियोजन कर पदस्थापित करते हुये अपने कार्यों के अतिरिक्त अभियन्ता प्रमुख का प्रभार प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत बाढ़ प्रबंधन एवं सीमवर्ती क्षेत्र कार्यक्रम के तहत स्वीकृत/प्रस्तावित योजनाओं में केन्द्रांश की प्रत्याशा में विभाग द्वारा कराये गये कार्यों के विरुद्ध सी०एफ०एम०एस० के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के केन्द्रांश मद, विपत्र कोड 49-4711010510209 के बजटीय उपबंध रू० 881.00 करोड़ (आठ सौ एकासी करोड़ रुपये) का 50 (पचास) प्रतिशत अर्थात् रू० 440.50 (चार सौ चालीस करोड़ पचास लाख रुपये) एवं राज्यांश मद, विपत्र कोड 49-4711010510309 के बजटीय उपबंध रू० 126.00 करोड़ (एक सौ छब्बीस करोड़ रुपये) का 50 (पचास) प्रतिशत अर्थात् रू० 63.00 (तिरेसठ करोड़ रुपया) अर्थात् सीमा क्षेत्र में नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य के केन्द्रांश मद, विपत्र कोड 49-4711010510212 के बजटीय उपबंध रू० 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) का 100 (सौ) प्रतिशत अर्थात् रू० 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) उपयोग एवं निकासी व्ययन की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, के उपयोग हेतु वाहन की सुविधा में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
